राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1680/2005/जयपुर

श्री विवेक शर्मा पुत्र स्व. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा
निवासी ए–50, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर .....प्रार्थी.

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एस.पी. शर्मा
अभिभाषक। .....**प्रार्थी की ओर से.**

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अप्रार्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 20.11.2015

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी निगराकार द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर के आदेश दिनांक 17.03.2004 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 56 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल, अजमेर से समस्त मुद्रांक प्रकरण कर बोर्ड, अजमेर को हस्तान्तरित होने से यह निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णित की जा रही है।

1. इस निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से अंकित है :–

प्रार्थी के पिता श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा दो प्लॉट क्रय करते हुए उनकी लीड डीड का पंजीयन कराने हेतु दिनांक 26.09.2002 को 43,250/–रूपये के गैर न्यायिक स्टॉम्प क्रय किये गये थे। लेकिन लीज डीड को रजिस्टर्ड करने से पूर्व ही दिनांक 6.11.2002 को प्रार्थी के पिता श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा का देहान्त हो गया, जिसके कारण वे लीज रजिस्टर्ड नहीं करा पाए। प्रार्थी ने अपने पिता के मरणोंपरान्त आवश्यक कागजातों की जांच करते हुए कुछ समय पश्चात् पाया कि उनके पिता द्वारा क्रय किये गये मूल नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प उपभोग में नहीं लिये गये हैं तथा प्रार्थी ने उक्त राशि रूपये 43,250/– के स्टॉम्पों को रिफण्ड पाने हेतु अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर के यहां दिनांक 30.06.2003 को मय मृत्यु प्रमाण–पत्र व अधिनियम की धारा 5 के तहत् देरी माफी प्रार्थना–पत्र के साथ आवेदन किया, लेकिन कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी के आवेदन पत्र को

लगातार 2

अधिनियम की धारा 49 के तहत् छः माह की निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप स्टॉम्पों का रिफण्ड योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रार्थी के अभिभाषक श्री एस.पी. शर्मा एवं राजस्व की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 06.11.2002 को हुई तथा प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर के समक्ष उक्त नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्पों के रिफण्ड बाबत् प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र व म्याद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय उचित कारणों के संलग्न किया, परन्तु कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद बाहर बताते हुये निगरानी को खारिज कर दिया तथा देरी माफी के प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में स्पष्ट लिखा गया कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा लीज डीड रजिस्टर्ड कराने हेतु उक्त स्टाम्प क्रय किए थे, जिसकी प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को कोई जानकारी नहीं थी एवं यह एक प्राकृतिक हादसा है, जो प्रार्थी के वश में नहीं है। जब प्रार्थी ने घर पर अपने पिता के आवश्यक कागजात देखें तब उक्त स्टॉम्पों की खरीद की जानकारी मिली। अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा अपने स्वर्गीय पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वसीयतनामा प्रस्तुत किया। उक्त वसीयतनामा दिनांक 16.07.2001 को श्री आर.के. जैन, एडवोकेट एवं नोटेरी पब्लिक, जयपुर द्वारा रजि.न. 511/2001 पर दर्ज है। जिसमें यह स्पष्ट साबित होता है कि श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा के देहान्त के पश्चात श्री विवेक शर्मा (मृतक का पुत्र) उनकी चल व अचल सम्पत्ति का एकमात्र मालिक व स्वामी होगा। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करते हुए कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर का आदेश दिनांक 17.03.2004 को खारिज करते हुए प्रार्थी के पक्ष में सहानुभूति व मानवता का रवैया अपनाते हुए राशि रूपये 43,250/– का रिफण्ड दिलाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क किया कि प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त नान ज्यूडीशियल स्टॉम्पों को दिनांक 26.09.2002 को क्रय किये गये थे एवं प्रार्थी के पिता का निधन दिनांक 06.11.2002 को हो गया था। प्रार्थी द्वारा छः माह के बाद दिनांक 30.06.2003 को रिफण्ड का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि मियाद बाहर है। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिये गये आदेश को उचित बतलाते हुए, निगरानी को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार 3

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्समय प्रचलित मुद्रांक अधिनियम की धारा 49 में अप्रयुक्त स्टॉम्प पेपर की राशि का रिफण्ड प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र मय मूल स्टॉम्प प्रस्तुत करने की अवधि छः माह निर्धारित थी। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त अवधि में वृद्धि करने का अधिकार कलक्टर (मुद्रांक) को प्रदत नहीं है। अर्थात छः माह की विहित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने हेतु अथवा उस पर विचार करने हेतु कलक्टर (मुद्रांक) अधिकृत नहीं है।

अतः कलक्टर (मुद्रांक) का प्रस्तुत में रिफण्ड प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का आदेश उचित है। प्रार्थी की निगरानी तद्नुसार अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

20/11/15

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य